GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] No. 207] दिल्ली, मंगलवार अक्तूबर 30, 2018/ कार्तिक 8, 1940 DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2018/ KARTIKA 8, 1940 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 644

[N.C.T.D. No. 644

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग अधिसूचना

दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2018

सं.फा. डीसी/ओपीएस/टीपीटी/2014/445.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 तथा दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 2 (q) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 का पुनः संशोधन करने के लिए जो नियम बनाना प्रस्तावित करते हैं, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए इन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप—धारा (1) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप दिल्ली राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन तिथि से 30 दिन अधिसूचना की अवधि बीतने के बाद निर्धारित अवधि तक इस संबंध में प्राप्त होने वाली/वाले किन्हीं आपित्तियों या किन्हीं सुझावों के साथ—साथ विचार किया जाएगा।

2. इस संबंध में आपित्तयां या सुझाव प्रधान सचिव एवं आयुक्त (परिवहन), परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली — 110054 को भेजे जाने चाहिए।

प्रारूप नियमावली

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :--
- (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जा सकेगा।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी अंतिम प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा।
- 2. नियम 34क (1) का संशोधन

दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 34क के उपनियम (1) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः—

''किसी भी गैर—परिवहन चार पहिया वाहन एवं दो पहिया वाहन की स्थिति में निम्न तालिका के कॉलम 1 में यथानिर्दिष्ट कोई पंजीकरण अंक उपलब्ध पंजीकरण

6401 DG/2018

श्रृंखलाओं में से किसी श्रृंखला में आबंटन श्रेणी 1, 2, 3, एवं 4 के संबंध में खुली निलामी द्वारा सर्वाधिक बोली देने वाले को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर दिया जाएगा तथा श्रेणी 5 एवंम् 6 के संबंध में निम्न तालिका वर्णित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर दिया जाएगा।

श्रेणी	पंजीकरण संख्या/चिन्ह	शन के लिये शुल्क श्रेणी 1, 2, 3,	आबंटन की पद्धति	
		न्यूनतम आरक्षित	जाबटन का पद्धात	
		एवंम् ६ के लिये	अतिरिक्त शल्क	
		चार पहिया वाहन दो पहिया		
			वाहन	
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	0001	पांच लाख रुपये	पचास हजार रुपये	
2	0002 से 0009	तीन लाख रुपये	तीस हजार रुपये	ई–बोली द्वारा
3	0010 से 0099, 0786, 1000, 1111, 7777 एवं 9999	दो लाख रुपये	बीस हजार रुपये	
4	0100, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 8000, 8888, 9000, 0101, 0108, 1008 तथा 1313	एक लाख पचास हजार रुपये	पन्द्रह हजार रुपये	
5	कोई भी अन्य पंजीकरण चिन्ह, जो उक्त श्रेणी संख्या 01 से 04 में उल्लिखित नहीं है और जो किसी व्यक्ति द्वारा पसंद की पंजीकरण चिन्ह के रूप में मांगा गया है जो पंजीकरण चिन्हों की श्रृंखलाओं में संख्याओं की क्रमवार संख्या को लांघ कर आबंटित किया जाता है।	पच्चीस हजार रुपये	दो हजार पांच सौ रुपये	आवंटन पहले आओ पह पाओं के आधार पर ऑ लाईन सॉफ्टवेयर क माध्यम से अतिरिक्त शुल के भुगतान पर किर जाएगा।
6	नए गैर परिवहन चार पहिया वाहन या दो पहिया वाहन की खरीद पर मौजूदा पंजीकरण चिन्ह का प्रतिधारण	प्रतिधारण करने वाले पंजीकरण चिन्ह की श्रेणी के न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10% या 25,000 / - रूपये जो भी अधिक हो।		यथा लागू कॉलम 2 या में यथाउल्लिखत अतिरिक्त शुल्क के भुगतान प प्रतिधारण की अनुमति दें जायेगी।
		अनुमति तभी होगी चिन्ह आवेदन की ति नाम पर कम से पंजीकृत होना चाहिए		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से आशा चौधरी मल्होत्रा, उपायुक्त (ऑपरेशन I), परिवहन

TRANSPORT DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 26th October, 2018

No.DC/OPS/Tpt./2014/445.—The following draft rules further to amend the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, which the Government of National Capital Territory of Delhi proposes to make in exercise of the powers conferred by section 65 of the Motor Vehicles Act,1988 read with rule2(q) of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 is

hereby published as required under sub-section (1) of section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Delhi Gazette Motor together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto by the stipulated period.

2. Objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary-cum-Commissioner (Transport), Govt. of National Capital Territory of Delhi, Transport Department, 5/9 Under Hill Road, Delhi-110 054.

Rules

Short Title and Commencement

- (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

Amendment in Rule 34 A (1)

In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in Rule 34A, for sub-rule(1), the following shall be substituted,

"In case of non-transport four wheeled vehicle and two wheeled vehicle, the assignment of registration mark as specified in column 1 of the table given below, in any available series of registration marks shall be made available only on payment of additional fee to the highest bidder selected through open auction in respect of category 1, 2, 3 & 4 and on payment of additional fee in respect of category 5 & 6 as per table given below:-

Category	Registration Marks / Numbers	Minimum Reserve Price for Category 1, 2 3 & 4 and Additional fee for Category No. 5		Mode of allotment	
		Four wheeled Vehicles	Two Wheeled Vehicles		
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1	0001	Rupees Five Lakhs.	Rupees Fifty Thousands.		
2	0002 to 0009	Rupees Three Lakhs.	Rupees Thirty Thousands.		
3	0010 to 0099, 0786, 1000, 1111, 7777 & 9999	Rupees Two Lakhs.	Rupees Twenty Thousands.		
4	0100, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 8000, 8888, 9000, 0101, 0108, 1008 & 1313	Rupees One Lakh & Fifty Thousands	Rupees Fifteen Thousands.	Through e - auction.	

5	Any other registration mark	Rupees Twenty	Dunges Two Thomas	771- 11-4 4 1 11 1
	그리고 하는 사람이 아니는 아니는 얼마나 하는데 하는데 아니는 것이 되었다.	1	Rupees Two Thousand	The allotment shall be
	which is not mentioned in	Five Thousands.	Five Hundreds.	made on payment of
	category no. 01 to 04 is			additional fee through
	sought by a person as a			on-line software on first
	registration mark of choice			come first serve basis.
	by jumping the chronological			
	order of numbers in a series			
	of registration marks.			
6.	The state of the s	100/	10% 6 1	-
0.		10% of the	10% of the minimum	The retention shall be
	Registration Mark on	minimum Reserve	Reserve Price of the	allowed on payment of
	purchase of new non-	Price of the	category of the number	additional fee as
	transport Four wheeled	category of the	to be retained or	mentioned in Column 2
	vehicle or Two wheeled	number to be	Rs.2,500/- whichever is	and 3, as applicable.
	vehicle.	retained or	higher.	, 11
		Rs.25,000/-		하게 하다면 하는 사람들이 되었다.
		whichever is		
		higher.		
		The Retention of r		
		allowed, only if the registration mark has		
		remained registered		
		applicant for a mi		
		years, as on the date of application for		
9.00		retention.		

By Order of the Government of National Capital Territory of Delhi ASHA CHAUDHARY MALHOTRA, Dy. Commissioner (Ops-I), Transport